भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3046
22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- मिलावटी उर्वरक

3046. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ कंपनियों द्वारा मिलावटी कीटनाशकों और उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जो कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान परीक्षित किए गए विभिन्न कीटनाशकों के नमूनों की संख्या और निम्न-स्तरीय पाए गए उर्वरकों के नमूनों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मिलावटी कीटनाशकों/उर्वरकों की ब्रिकी के संबंध में कितने मामले सूचित किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मिलावटी कीटनाशक उर्वरकों की बिक्री की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): (i) कीटनाशक: केंद्र सरकार को कुछ कंपनियों द्वारा नकली कीटनाशकों की आपूर्ति के संबंध में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और

कर्नाटक राज्य सरकार से शिकायतें मिली हैं। पिछले तीन वर्षों (2018-19, 2019-20 और 20-21) और चालू वर्ष में प्राप्त शिकायतों का राज्यवार विवरण **(अनुबंध-I)** में संलग्न है।

(ii) उर्वरक: इस मंत्रालय को नकली उर्वरकों की बिक्री की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) से **(घ): (i) कीटनाशक:** पिछले 03 वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा परीक्षण किए गए और निम्न-स्तरीय पाए गए कीटनाशकों के नमूनों का विवरण और कार्रवाई **अनुबंध** II और III में संलग्न है।

(ii) उर्वरक: पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्लेषण किए गए और निम्न-स्तरीय पाए गए कुल नमूनों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूने	निम्न-स्तरीय पाए गए नमूने	% निम्न-स्तरीय
1.	2018-19	138602	7090	5.10
2.	2019-20	145194	7466	5.10
3.	2020-21	149527	8625	5.42
4	2021-22(31.12.2021 तक)*	127285	7450	5.85

* राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2022 क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान प्रतिवेदित

निम्न-स्तरीय नमूनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई **अनुबंध-IV** में संलग्न है।

(ड.) एवं (च): (i) कीटनाशक: कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारों (धारा 20) द्वारा नियुक्त कीटनाशक निरीक्षकों को परिसर की तलाशी लेने, दस्तावेज जब्त करने, कीटनाशकों का वितरण या बिक्री रोकने और विश्लेषण हेतु कीटनाशकों के नमूने लेने (धारा 21) की शक्तियां प्राप्त हैं। इस तरह के विश्लेषण केंद्र या राज्य सरकारों (धारा 19)द्वारा नियुक्त कीटनाशक विश्लेषकों द्वारा किए जाते हैं।

वर्तमान में, विभिन्न राज्य सरकारों के 11401 अधिकारियों को कीटनाशक निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि वे विनिर्माण फर्मों / बिक्री बिंदुओं आदि के निरीक्षण के माध्यम से किसानों को वितरित / बेचे जाने वाले कीटनाशकों की गुणवत्ता की जाँच कर सकें। गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 70 कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एसपीटीएल) और 6 राज्य जैव-कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसबीटीएल) 25 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 77660 नमूनों की जांच करने की है।

केंद्र सरकार कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करती है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के 191 अधिकारियों को केंद्रीय कीटनाशक निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है और संयंत्र संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस) के तहत 4,700 नमूनों की वार्षिक परीक्षण क्षमता वाली एक केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला और दो क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं , चंडीगढ़ और कानपुर में मौजूद हैं।

'गलत ब्रांड' के कीटनाशकों के आयात, निर्माण या बिक्री से संबंधित अपराध, जिसमें भ्रामक या दोषपूर्ण लेबल का उपयोग, अनुचित पैकेजिंग का उपयोग, उच्च विषाक्तता या उत्पाद की जालसाजी आदि शामिल हैं, जिनके लिए दो साल तक के कारावास या 10,000 से 50,000, रुपए तक के जुर्माने या दोनों (धारा 29) के लिए दंड का प्रावधान हैं।

(ii) उर्वरक: एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है जो निर्धारित मानक के नहीं हैं। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं 83 हैं। राज्य सरकार प्रवर्तन प्राधिकरण है और एफसीओ के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के तहत पर्याप्त रूप से सशक्त हैं। एफसीओ प्रावधानों के उल्लंघन होने पर प्रशासनिक कार्रवाई जैसे एफसीओ के तहत प्राधिकार पत्र को रद्द या निलंबित करना और दंडात्मक कार्रवाई जिसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा शामिल है, दोनों हो सकती है।

अनुबंध-I

पिछले 03 वर्षों के दौरान नकली कीटनाशकों की आपूर्ति के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त शिकायतों का विवरण:-

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**योग**
1.	महाराष्ट्र	02	02	03	03	10
2	गुजरात	01	शून्य	01	शून्य	02
3.	उत्तर प्रदेश	01	शून्य	शून्य	01	02
4.	हरियाणा	01	04	शून्य	02	07
5.	दिल्ली	शून्य	02	शून्य	03	05
6.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	01	01	02
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	01	शून्य	01
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	01	01
	योग	05	08	06	11	30

अनुबंध- II

राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के नमूनों के विश्लेषण के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19				2019-20				2020-21				2021-22 (दिसंबर 2021 तक)			
		नमूनों की संख्या				नमूनों की संख्या				नमूनों की संख्या				नमूनों की संख्या			
		विश्लेषण किए गए	गलत ब्रांड के	शुरू किया गया अभियोजन	आरोपित दोषी	विश्लेषण किए गए	गलत ब्रांड के	शुरू किया गया अभियोजन	आरोपित दोषी	विश्लेषण किए गए	गलत ब्रांड के	शुरू किया गया अभियोजन	आरोपित दोषी	विश्लेषण किए गए	गलत ब्रांड के	शुरू किया गया अभियोजन	आरोपित दोषी
1	आंध्र प्रदेश	5120	118	101	-	5116	83	83	0	6763	68	-	शून्य	2585	37	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0
3	असम	76	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	24	शून्य	शून्य	शून्य	38	0	0	4
4	बिहार	639	22	शून्य	शून्य	115	1	5	शून्य	755	6	शून्य	शून्य	221	1	0	0
5	छत्तीसगढ	599	38	शून्य	शून्य	481	11	11	शून्य	239	11	शून्य	शून्य	402	16	0	0
6	दिल्ली	39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य	शून्य	1	0	0	0
7	गोवा	5	शून्य	शून्य	शून्य	9	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य	शून्य	4	0	0	0
8	गुजरात	4011	174	146	5	3961	119	72	5	2651	85	10		3556	87	48	0
9	हरियाणा	1540	84	58	4	2143	182	76	8	1469	109	20	4	1239	108	14	0

10	हिमाचल प्रदेश	427	शून्य	शून्य	शून्य	238	0	0	शून्य	140	0	0	0	217	0	0	0
11	जम्मू कश्मीर	1110	26	20	5	1910	62	36	10	1949	28	11	1	974	42	25	7
12	झारखंड	90	शून्य	शून्य	शून्य	94	2	शून्य	शून्य	28	0	शून्य	शून्य	2	0	0	0
13	कर्नाटक	3562	42	8	शून्य	5964	62	8	-	5460	64	शून्य	शून्य	3730	56	0	0
14	केरल	1552	6	6	-	1060	8	0	-	2129		शून्य	शून्य	1090	2	शून्य	शून्य
15	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	मध्य प्रदेश	680	81	2	शून्य	1326	146	4		1159	178	10		1086	172	8	0
17	महाराष्ट्र	7938	310	261	शून्य	7763	263	95	2	2306	71	10		10517	330	45	0
18	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0
19	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0
20	मिजोरम	20	0	0	शून्य	0	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0
21	ओड़िशा	560	27	1	शून्य	666	14	1	1	527	11	शून्य	शून्य	378	9	0	0
22	पुदुचेरी	62	0	शून्य	शून्य	189	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0

23	पंजाब	3925	44	24	शून्य	3961	103	2	शून्य	2457	19	21	शून्य	1427	27	5	0
24	राजस्थान	2800	46	12	शून्य	2585	101	1	शून्य	1852	112	3	शून्य	4659	235	20	0
25	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	तमिलनाडु	21638	134	30	शून्य	21020	216	14	शून्य	17776	103	7	शून्य	13093	77	0	0
27	तेलंगाना	3678	25	23	शून्य	3619	20	3	शून्य	3043	13	शून्य	शून्य	2907	12	0	0
28	त्रिपुरा	22	0	शून्य	शून्य	79	0	0	शून्य	68	4	शून्य	शून्य	108	0	शून्य	शून्य
29	उत्तराखंड	428	18	16	शून्य	221	10	10	शून्य	392	19	19	शून्य	195	10	10	0
30	उत्तर प्रदेश	6458	544	475	शून्य	6707	389	206	17	3513	206	203	19	4227	294	150	2
31	पश्चिम बंगाल	1099	8	8	शून्य	833	5	0	शून्य	519	5	शून्य	शून्य	431	2	0	0
32	केंद्रीय कीटनाशक निरीक्षक (फरवरी, 2022 तक)	179	6	शून्य	शून्य	296	13	शून्य	शून्य	158	30	3	2	94	13	8	0
	योग	**68257**	**1753**	**1191**	**14**	**70367**	**1810**	**627**	**43**	**55377**	**1142**	**317**	**26**	**53181**	**1530**	**333**	**13**

अनुबंध-III

पिछले 03 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसपीटीएल) में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के नमूनों के विश्लेषण के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22 (चालू वर्ष)		
□□□□□□□ लिया गया □□□□□□	**विश्लेषण किए गए**	**गलत ब्रांड के**	**शुरू किया गया अभियोजन**	**विश्लेषण किए गए**	**गलत ब्रांड के**	**शुरू किया गया अभियोजन**	**विश्लेषण किए गए**	**गलत ब्रांड के**	**शुरू किया गया अभियोजन**	**विश्लेषण किए गए**	**गलत ब्रांड के**	**शुरू किया गया अभियोजन**
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □	68078	1747	1191	70071	1797	627	55219	1112	314	53087	1517	325
□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ (सीआईआई)	179	06	शून्य	296	13	शून्य	158	30	03	94	13	08
योग	**68257**	**1753**	**1191**	**70367**	**1810**	**627**	**55377**	**1142**	**317**	**53181**	**1530**	**332**

वर्ष 2018-19 के दौरान उर्वरकों के गैर मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार विवरण						
क्र.सं.	राज्य का नाम	की गई प्रशासनिक कार्रवाई			शुरू किया गया अभियोजन	दी गई सजा
		रद्द डीआरसी	निलंबित डीआरसी	अन्य कार्रवाई		
1	असम	0	0	0	0	0
2	ओडिशा	0	0	244	0	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0	148	0	0
4	गुजरात	3	2	60	15	0
5	मध्य प्रदेश	85	86	590	0	0
6	महाराष्ट्र	1	0	1475	102	0
7	राजस्थान	0	0	0	6	0
8	हरियाणा	0	0	8	3	3
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10	उत्तर प्रदेश	349	45	56	33	0
11	उत्तराखंड	1	0	4	0	0
12	आंध्र प्रदेश	0	0	2	15	0
13	तेलंगाना	0	0	8	3	1
14	कर्नाटक	0	0	0	0	0
15	केरल	0	0	37	0	0
16	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	6	65	727	28	1

वर्ष 2019-20 के दौरान उर्वरकों के गैर मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार विवरण						
क्र.सं.	राज्य का नाम	की गई प्रशासनिक कार्रवाई			शुरू किया गया अभियोजन	दी गई सजा
		रद्द डीआरसी	निलंबित डीआरसी	अन्य कार्रवाई		
1	असम	0	0	0		0
2	बिहार	0	0	0	0	0
3	झारखंड	0	0	1	0	0
4	ओडिशा	0	0	0	0	0
5	पश्चिम बंगाल	0	0	332	0	0
6	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
7	मिजोरम	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	0	29	11	0
9	मध्य प्रदेश	56	114	598	0	0
10	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
11	महाराष्ट्र	177	122	0	801	0
12	राजस्थान	0	0	0	0	0
13	हरियाणा	0	0	0	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	4	0	0
16	पंजाब	18	0	102	9	0
17	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
18	उत्तराखंड	4	0	8	0	0
19	आंध्र प्रदेश	0	0	7	0	0
20	तेलंगाना	0	0	5	18	0
21	कर्नाटक	0	0	0	0	0
22	केरल	0	10	80	0	0
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	293	252	0	0
25	भारत सरकार	0	0	0	0	0

	2020-21 के दौरान उर्वरकों के गैर मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार विवरण				
	राज्य	प्रशासनिक कार्रवाई	शुरू किया गया अभियोजन	दी गई सजा	प्रक्रियाधीन कार्रवाई
1)	हरियाणा	6	5	0	21
2)	उत्तराखंड	0	0	0	0
3)	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
4)	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
5)	पंजाब	43	3	0	0
6)	उत्तर प्रदेश	547	44	39	48
7)	बिहार	14	0	0	0
8)	झारखंड	0	0	0	0
9)	ओडिशा	49	0	0	0
10)	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
11)	आंध्र प्रदेश	12	24	0	126
12)	तेलंगाना	40	35	0	0
13)	कर्नाटक	1	23	0	89
14)	केरल	40	0	0	17
15)	तमिलनाडु	220	0	0	300
16)	पुदुचेरी	0	0	0	0
17)	गुजरात	97	56	7	20
18)	छत्तीसगढ	86	0	0	0
19)	मध्य प्रदेश	670	0	0	78 एफआईआर
20)	महाराष्ट्र	1242	107	0	0
21)	राजस्थान	416	1	0	0

	वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान उर्वरकों के गैर मानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का राज्यवार विवरण				
	राज्य	प्रशासनिक कार्रवाई	शुरू किया गया अभियोजन	दी गई सजा	प्रक्रियाधीन कार्रवाई
1.	हरियाणा	5	11	2	21
2.	उत्तराखंड	4	0	0	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
5.	पंजाब	6	6	0	18
6.	उत्तर प्रदेश	337	79	5	26
7.	बिहार	32	9	0	0
8.	झारखंड	0	0	0	0
9.	ओडिशा	53	0	0	0
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
11.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	18
12.	तेलंगाना	69	18	0	0
13.	कर्नाटक	0	0	0	0
14.	केरल	55	0	0	39
15.	तमिलनाडु	0	0	0	0
16.	पुदुचेरी	0	0	0	0
17.	गुजरात	30	12	0	147
18.	छत्तीसगढ	141	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	298	0	0	87 एफआईआर
20.	महाराष्ट्र	387	25	0	0
21.	राजस्थान	450	0	0	प्रक्रिया के तहत

****